कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक: क्यू/स्टेनो/एडीएम/450/2020 ग्वालियर, दिनांकः 01.05.2020

।। आ दे श ।।

(अन्तर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता)

ग्वालियर जिले सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 03.05.2020 तक लॉक डाउन है, इस संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांकः 40-3/2020/डीएम-1(ए) दिनांक 15.04.2020 तदोपरांत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, जिसक परिपेक्ष्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सम संख्यक आदेश क्रमांक 403 दिनांक 30.04.020 एवं 404 दिनांक 01.05.2020 जारी किये गये थे।

2/ उक्तादेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करे हुए निम्नानुसार शिथिलता/छूट प्रदान की जाती हैः-

शिथिलता/छूट

- थोक किराने की दुकानें दिनांक 02 मई शनिवार को प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, लेकिन वह केवल खेरीज विक्रेताओं को ही सामान का विक्रय कर सकेंगे, सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय नहीं कर सकेंगे।
- खेरीज किराने की दुकानें दिनांक 03 मई रविवार को प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
- पुरानी छावनी स्थित फल मण्डी रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
- नगर निगम सीमा क्षेत्रान्तर्गत थोक सब्जी का विक्रय निर्धारित 08 सब्जी विक्रय केन्द्र से प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक फुटकर सब्जी विक्रेताओं को किया जा सकेगा। फुटकर विक्रेता हाथ ठेले/साइकिल के माध्यम से विभिन्न बाजारों एवं ग्राहकों को विक्रय कर सकेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में भी कृषि एवं कृषि उपकरण से संबंधित प्रतिष्ठान, टायर एवं पंचर की दुकानें प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
- ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में ग्वालियर जिले में पशु आहार, मुर्गीदाना, मत्स्य दाना, पशु आहार निर्माण और चारा संयंत्र प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में शासकीय निर्माण कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। इस हेतु संबंधित विभाग के द्वारा ही कर्मचारियों/श्रमिकों को पास जारी किये जावेंगे तथा संबंधित विभाग/एजेंसी को इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 353बी दिनांक 26.04.2020 में निहित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- शहरी क्षेत्र में शासकीय निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री यथा सीमेंट, लोहा स्टील रेत आदि की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
- आटा-बेसन चक्की/पिसाई केन्द्र प्रातः 08.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- चश्मे विक्रय एवं रिपेयर की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से सांयकाल 04.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
- अधिकृत ऑटो मोबाइल शोरूम वाहनों की सर्विसिंग एवं पार्ट्स विक्रय हेतु प्रातः 10.00 बजे से सांयकाल 04.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- कूलर, एसी, पंखे, फ्रीज की होम डिलीवरी ग्वालियर जिला के विक्रताओं द्वारा गोदामों के माध्यम से प्रातः 10.00 बजे से सांयकाल 04.00 बजे तक की जा सकेगी। इस हेतु कोई भी दुकान या शोरूम नहीं खुल सकेंगे न हीं गोदामों पर सीधे ग्राहकों को विक्रय कर सकेंगे।
- कूलर, एसी, पंखे, फ्रीज आदि की मरम्मत ऑन कॉल पर घरों पर करायी जा सकेगी।
- किसानों की फसल तथा उनके रखने हेतु बनाए जाने वाले कूप आदि की पानी एवं आंधी से सुरक्षा हेतु ग्वालियर जिले में स्थित तिरपाल एवं रस्सी की दुकानें प्रातः 06.0 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

Scanned with CamScanner

- ट्रांसपोर्ट नगर प्रातः 09.00 बजे से सांयकाल 04.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। सभी ट्रक भदौरिया पेट्रोल पंप से एंटी लेंगे तथा सुदर्शन पेट्रोल पंप से बाहर निकलेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर की यूनियन अपने कर्मचारियों, स्टॉफ, वाहन ड्रायवरों, मैकेनिक, लेवर को अपने स्तर से आई कार्ड जारी करेगी तथा मास्क व सेनेटाइजर उपलब्ध करायेंगी। ट्रांसपोर्ट नगर के आस–पास की नाई, गुटखा, चाय सहित अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। क्षेत्र एसडीएम/इन्सीडेंट कमाडर उक्त क्षेत्र की सतत् निगरानी करेंगे तथा उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल बंद करा सकेंगे।
- **अनुभाग डबरा** हेतु फल मण्डी प्रातः 07.00 से प्रातः 09.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
- **अनुभाग डबरा** हेतु सब्जी मण्डी रात्रि 09.00 से रात्रि 11.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
- **अनुभाग ग्वालियर सिटी** के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित बहोड़ापुर क्षेत्र में घरेलू गैस वितरण एवं भोजन सामग्री/ पके हुए भोजन का वितरण संबधित इंसीडेंट कमांडर के माध्यम से कराया जा सकेगा।

रिमार्क–

– उक्त शिथिलता/छूट कन्टेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र में प्रभावी नहीं होंगी।

– सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों पर आमजन/कर्मचारियों को चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित है, उल्लंघन किये जाने पर शासन द्वारा निर्धारित राशि रूपय 1000/– का जुर्माना अथवा वैधानिक कार्यवाही अथवा दोनों हो सकेंगे।

3/ यह आदेश दिनांक 01.05.2020 की रात्रि 12.00 बजे से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

4/ आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

5/ यह आदेश ग्वालियर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन ग्वालियर अपने–अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें। अपर संचालक जन संपर्क जिले से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में निशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर,म0प्र0

ग्वालियर, दिनांकः 01.05.2020

पृ.क्रमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/430/2020

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर
2. ए0डी0जी0/आईजी ग्वालियर रेंज ग्वालियर
3. पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर
4. आयुक्त नगर निगम ग्वालियर
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर
6. समस्त अपर कलेक्टर/एडीएम
7. समस्त इन्सीडेंट कमान्डर्स
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर
9. जिला खाद्य नियंत्रक ग्वालियर
10. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ग्वालियर
11. जनसम्पर्क अधिकारी जिला ग्वालियर।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर,म0प्र0

Scanned with CamScanner